राजस्थान सरकार
वित्त (एसपीएफसी) विभाग

क्रमांकः एफ4(1)वित्त/एसपीएफसी/2013 दिनांकः 28.10.2016

समस्त विभागाध्यक्ष
राजस्थान।

विषयः— राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) के नवीन वर्जन के उपयोग एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

जैसा कि विदित है इस विभाग द्वारा दिनांक 29.09.2016 से राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) का नवीन वर्जन लागू किया गया है जिसमें उपापन से संबंधित सूचनाओं/दस्तावेजों को प्रकाशित किए जाने हेतु यूजर फ्रेण्डली नवीन फीचर्स सम्मिलित किये गये हैं। पोर्टल के नवीन वर्जन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एवं हेण्ड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए राज्य के विभागों में पदस्थापित वित्तीय सलाहकारों/वरिष्ठतम लेखा सेवा अधिकारियों, SPPP के लिए नामित नोडल अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के लिए दिनांक 17.10.2016 से 28.10.2016 तक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (Training of Trainers) कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग समस्त विभागों के अधिकारीगण ने अच्छे तरीके से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके द्वारा अच्छा फीडबैक दिया गया है। वित्त विभाग अब सभी विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा करता है कि वे इन प्रशिक्षित अधिकारीगण के माध्यम से विभाग में कार्यरत समस्त उपापन संस्थाओं के अधिकारियों/कार्मिकों को SPP Portal के उपयोग बाबत प्रशिक्षण प्रदान करें।

वित्त विभाग सभी जिला कोषाधिकारियों को भी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (Training of Trainers) प्रदान किया गया है ताकि वे जिला स्तर पर उपापन संस्थाओं के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

इस पोर्टल में एक नवीन फीचर यह भी सम्मिलित किया गया है कि उपापन संस्था को किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण (SPP Portal/eProcurement Portal/ RTPP Act and Rules बाबत) की आवश्यकता महसूस होती है तो वे उच्चाधिकारियों को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकती है। उपापन संस्थाएं इस हेतु SPP Portal पर उपलब्ध चेन्ज रिक्वेस्ट फॉर्म (CRF) के माध्यम से अपने नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे अपने अधीन उपापन संस्थाओं को पोर्टल के उपयोग के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करे।

किसी भी विभाग में यदि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई महसूस होती है अथवा और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है तो ईमेल (*cao.spfc@rajasthan.gov.in*) के माध्यम से राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ से अनुरोध कर सकते हैं।

चूंकि राज्य लोक उपापन पोर्टल पर सूचनाएं/दस्तावेज प्रकाशन किए जाने का अनिवार्य प्रावधान है, अतः सभी विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विभाग में

नोडल अधिकारी के माध्यम से विभाग में कार्यरत समस्त उपापन संस्थाओं का पंजीयन पोर्टल पर कराया जाकर 15 दिवस में वित्त (SPFC) विभाग को ईमेल के माध्यम से सूचित करावें।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, समस्त प्रशासनिक विभागों को प्रेषित कर आग्रह है कि आपके अधीनस्थ विभागों को उक्तानुसार पालना सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करावें।

(रामावतार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (G&T) विभाग